>

Title: Issue regarding reservation in promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Service.

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जाति एव जनजाति के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विषय में बात करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय की एक दो सदस्य वाली बेंच ने 27 अप्रैल को अपने एक फैसले में अनुसूचित जाति, जनजाति को पिछले 18 सालों से प्रोन्नति में चले आ रहे आरक्षण को रद्द करते हुए एक फैसला दिया है। दो सदस्यों वाली इस बेंच ने 19 अक्टूबर, 2010 वाले एक पांच सदस्यों वाली सर्वोच्च न्यायाल की बेंच के. एम. नागराज केस फैसले को आधार बनाया है।

मैं इस सदन का ध्यान 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें नौ सदस्यों वाली बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण में पदोन्नति के अधिकार को नकार दिया था और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण अगले पांच साल चलाते रहने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय की आरक्षण पर यह अब तक स्थापित सबसे बड़ी बेंच का फैसला था। इस बेंच में नौ जज थे। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से तथा यूपीए की चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी से मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन कर आरक्षण संबंधी प्रावधानों को न्यायलय के ऐसे फैसले से बचाया जाए जिससे कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions)